"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 जून 2002—ज्येष्ठ 27, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (70).—जैसा कि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि ऐसा जनहित में किया जाना आवश्यक है;

अत: अब राज्य शासन, एतद्द्वारा, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचनाओं में शब्द "राज्य सरकार, एतद्द्वार," के पश्चात् शब्द "व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर," प्रतिस्थापित किया जावे.

क्रम (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	1 ए-3-28-2000-वाक-पांच (38)	17-4-2000
2.	एफ-10-391-2001-वाक-पांच (65)	9-11-2001

(1)	(2)	(3)
3.	एफ-10-392-2001-वाक-पांच (71)	12-11-2001
4.	एफ-10-15-2002-वाक-पांच (14)	8-2-2002
5.	एफ-10-16-2002-वाक-पांच (16)	12-2-2002
6.	एफ-10-29-2002-वाक-पांच (38)	27-3-2002
7.	एफ-10-43-2002-वाक-पांच (54)	2-5-2002

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2002 से प्रभावशील समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (70).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-61/2002/वाक/पांच (70), दिनांक 17-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th June 2002

NOTIFICATION

No.-F-10-61/2002/CT /V(70).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 8 (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following Amendment :—

AMENDMENT

1. In the Notifications given below after the words "the State Government hereby exempts " the words" on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer" shall be inserted.

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	1 A-3-28-2000-ST-V (38)	17-4-2000
2.	F-10-391-2001-CT-V (65)	9-11-2001
3.	F-10-392-2001-CT-V (71)	12-11-2001
4.	F-10-15-2002-CT-V (14)	8-2-2002
5.	F-10-16-2002-CT-V (16)	12-2-2002
6.	F-10-29-2002-CT-V (38)	27-3-2002
7.	F-10-43-2002-CT-V (54)	2-5-2002

2. The above Amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st June, 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (71).—जैसा कि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि ऐसा जनहित में किया जाना आवश्यक है;

अत: अब राज्य शासन, एतद्द्वारा, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचनाओं में शब्द "राज्य सरकार, एतद्द्वारा, " के पश्चात् शब्द "व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, " प्रतिस्थापित किया जावे.

क्रम (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-13-1-90-वाक-पांच (102)	16-10-1990
2.	ए-5-7-86-वाक-पांच (38)	22-3-1994
3.	ए-3-9-2000-वाक-पांच (40)	24-4-2000
4.	एफ-10-372-2001-वाक-पांच (51)	10-9-2001
5.	एफ-10-385-2001-वाक-पांच (60)	29-10-2001
6.	एफ-10-16-2002-वाक-पांच (17)	12-2-2002
7.	एफ-10-18-2002-वाक-पांच (20)	15-2-2002

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2002 से प्रभावशील समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (71).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-61/2002/वाक/पांच (71), दिनांक 17-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th June 2002

NOTIFICATION

No. F-10-61/2002/CT/V(71).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 8 (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following Amendment :—

AMENDMENT

1. In the Notifications given below after the words "the State Government hereby directs that " the words" on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer" shall be inserted.

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-13-1-90-ST-V (102)	16-10-1990
2.	A-5-7-86-ST-V (38)	22-3-1994
3.	A-3-9-2000-ST-V (40)	24-4-2000
4.	F-10-372-2001-CT-V (51)	10-9-2001
5.	F-10-385-2001-CT-V (60)	29-10-2001
6.	F-10-16-2002-CT-V (17)	12-2-2002
7.	F-10-18-2002-CT-V (20)	15-2-2002

2. The above Amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st June, 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (72).—जैसा कि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि ऐसा जनहित में किया जाना आवश्यक है;

अतएव,

(i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17, एवं

(ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) विनिर्दिष्ट विभागीय अधिसूचनाओं में अनुसूची के कालम (3) में दर्शायेनुसार विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है :—

अनुसूची

क्रम (1)	अधिसूचना (2)	संशोधन (3)
1.	ए-3-27-89-वाक-पांच (15), दिनांक 19 फरवरी, 1991	अनुसूची के पश्चात् स्पष्टीकरण को विलोपित किया जावे.
2.	ए-3-1-92-वाक-पांच (56), दिनांक 31 मार्च 1992	अनुसूची के पश्चात् स्पष्टीकरण को विलोपित किया जावे.
3.	ए-3-1-92-वाक-पांच (57), दिनांक 31 मार्च 1992	अनुसूची के पश्चात् स्पष्टीकरण को विलोपित किया जावे.
4.	ए-3-14-92-वाक-पांच (50), दिनांक 3 जून 1993	कंडिका 2 के स्पष्टीकरण-2 को विलोपित किया जाये.
5.	ए-3-24-94-वाक-पांच (108), दिनांक 6 अक्टूबर, 1994	कंडिका 10 के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये.
6.	ए-3-32-94-वाक-पांच (5), दिनांक 28 फरवरी, 1995	कंडिका 1 के उपकंडिका 1 के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये.
7.	ए-3-1-95-वाक-पांच (43), दिनांक 6 जून, 1995	कंडिका 11 के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये.
8.	ए-3-12-95-वाक-पांच (96), दिनांक 7 नवम्बर, 1997	कंडिका 8 के स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाये.

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2002 से प्रभावशील समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (72).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-61/2002/वाक/पांच (72), दिनांक 17-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th June 2002

NOTIFICATION

No. F- 10-61/2002/CT /V(72).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by :—

(i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and

(ii) Section 8 (5) of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this Department Notifications specified in column (2) of the Schedule below to the extent specified and in the manner specified in column (3) of the Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Notification (2)	Amendments (3)
1.	A-3-27-89-ST-V (15), dt. 19 Feb., 1991	Explanation after the Schedule be omitted.
2.	A-3-1-92-ST-V (56), dt. 31 Mar., 1992	Explanation after the Schedule be omitted.
3.	A-3-1-92-ST-V (57), dt. 31 Mar., 1992	Explanation after the Schedule be omitted.
4.	A-3-14-92-ST-V (50), dt. 3 June, 1993	Explanation-2 to para-2 be omitted.
5.	A-3-24-94-ST-V (108), dt. 6 Oct., 1994	Explanation to para-10 be omitted.
6.	A-3-32-94-ST-V (5), dt. 28 Feb., 1995	Explanation to subpara-1 of para-1 be omitted.
7.	A-3-1-95-ST-V (43), dt., 6 June, 1995	Explanation to para-11 be omitted.
8.	A-3-12-95-ST-V (96), dt., 7 Nov. 1997	Explanation to para-8 be omitted.

2. The above Amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st June, 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (73).—जैसा कि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि ऐसा जनहित में किया ज़ाना आवश्यक है;

अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को 1 जून, 2002 से विखंडित करती है, अर्थात् :—

1. क्रमांक 726-209-पांच-एस आर, दिनांक 31 मार्च, 1959
2. क्रमांक 1558-654-पांच-एस आर, दिनांक 20 जुलाई, 1959
3. क्रमांक 242-2458-पांच-विक, दिनांक 24 जनवरी, 1964
4. क्रमांक 2660-1589-पांच-विक, दिनांक 10 जून, 1965
5. क्रमांक 4353-1064-पांच-विक, दिनांक 3 दिसम्बर, 1966
6. क्रमांक ए-3-15-78 (26)-पांच-विक, दिनांक 24 अक्टूबर, 1978
7. क्रमांक ए-3-114-86-पांच-विक (99), दिनांक 11 अक्टूबर, 1990
8. क्रमांक ए-3-24-95-विक-पांच (86), दिनांक 17 नवम्बर, 1995
9. क्रमांक ए-3-94-98-विक-पांच (90), दिनांक 24 नवम्बर, 1999
10. क्रमांक ए-3-36-2000-विक-पांच (61), दिनांक 9 अगस्त, 2000
11. क्रमांक एफ-10-332-2001-वाक-पांच (38), दिनांक 10 अगस्त 2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2002

क्रमांक एफ-10-61/2002/वाक/पांच (73).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-61/2002/वाक/पांच (73), दिनांक 17-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th June 2002

NOTIFICATION

No. F-10-61/2002/CT /V(73).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby rescinds the following notifications of this department with effect from 1st June, 2002 namely :—

1. No. 726-209-V-SR, Dated 31 March, 1959
2. No. 1598-654-V-SR, Dated 20th July, 1959
3. No. 242-2458-V-ST, Dated 24th January, 1964
4. No. 2660-1589-V-ST, Dated 10th June, 1965
5. No. 4353-1064-V-ST, Dated 3rd December, 1966
6. No. A-3-15-78 (26) V-ST, Dated 24th October, 1978
7. No. A-3-114-86-ST-V (99), Dated 11th October, 1990
8. No. A-3-24-95-ST-V (86), Dated 17th November, 1995
9. No. A-3-94-98-ST-V (90), Dated 24th December, 1999
10. No. A-3-36-2000-ST-V (61), Dated 9th August, 2000
11. No. F-10-332-2001-CT-V (38), Dated 10th August, 2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.